

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री कुशल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-58/2021 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO :-2021/93

दायर दिनांक :-20.09.2021

निर्णय दिनांक :-21.10.2021

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

— प्रार्थी

बनाम

1. रवि कंसारा पुत्र श्री कृष्ण गोपाल कंसारा उम्र 30 जाति कंसारा निवासी वार्ड नं.13, सुरज दरवाजा, देवगढ़ जिला राजसमंद (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स रूद्राक्ष ट्रेडिंग कम्पनी, तीन बत्ती चौराहा, देवगढ़ जिला राजसमंद-305921 मो. नं. 9784419463
2. संगीता पंडिया पत्नी श्री सुनील पंडिया निवासी होलीथान, मारू दरवाजा, सदर बाजार देवगढ़ (फर्म मालिक) मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, होलीथान, मारू दरवाजा, सदर बाजार देवगढ़-313331
3. प्रियंका गुप्ता पत्नी श्री अशोक कुमार गुप्ता (फर्म मालिक) निवासी 5, जग्न गार्डन, वार्ड नं. 73 बदनपुरा, ब्रह्मपुरी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर मैसर्स सारथी सेल्स एजेन्सी, 467 बेसमेन्ट, सूर्या सिटी, आगरा रोड़ जयपुर- 302031 मो.न. 9829064011
1. पटेल प्रकाश कुमार केशवलाल पुत्र श्री पटेल केशवलाल निवासी 182, सन नगर सोसायटी, बिंदु सरोवर के पास, सिद्धपुर पाटन, सिद्धपुर, गुजराज- 384151 मैसर्स रजवाडी डेयरी प्रोडक्ट, एफ-1, पार्क एग्रो, कमली तहसील उंझा जिला महसाणा गुजरात-384170 मो.न. 9879761872

— विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (II) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण में श्री नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी रवि कंसारा पुत्र श्री कृष्ण गोपाल कंसारा उम्र 30 जाति कंसारा निवासी वार्ड नं.13, सुरज दरवाजा, देवगढ़ जिला राजसमंद (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स रूद्राक्ष ट्रेडिंग कम्पनी, तीन बत्ती चौराहा, देवगढ़, संगीता पंडिया पत्नी श्री सुनील पंडिया निवासी



*(Handwritten signature)*

होलीथान, मारू दरवाजा, सदर बाजार देवगढ़ (फर्म मालिक) मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, होलीथान, मारू दरवाजा, सदर बाजार देवगढ़, प्रियंका गुप्ता पत्नी श्री अशोक कुमार गुप्ता (फर्म मालिक) निवासी 5, जग्न गार्डन, वार्ड नं. 73 बदनपुरा, ब्रह्मपुरी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर मैसर्स सारथी सेल्स एजेन्सी, 467 बेसमेन्ट, सूर्या सिटी, आगरा रोड़ जयपुर, पटेल प्रकाश कुमार केषवलाल पुत्र श्री पटेल केषवलाल निवासी 182, सन नगर सोसायटी, बिंदु सरोवर के पास, सिद्धपुर पाटन, सिद्धपुर, गुजराज- 384151 मैसर्स रजवाडी डेयरी प्रोडक्ट, एफ-1, पार्क एग्रो, कमली तहसील उंझा जिला महसाणा गुजरात पर मिसब्राण्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी श्री रवि कंसारा पुत्र श्री कृष्ण गोपाल कंसारा, ( विक्रेता) जो की किराने के सामान बेचने का कार्य करते है। तथा इनकी दूकान मैसर्स रुद्राक्ष ट्रेडिंग कम्पनी, तीन बत्ती चौराहा, देवगढ़ राजसमन्द पर दिनांक 30.10.2020 को समय 03.15 पी0एम0 पर वास्ते चेकिंग पहुंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया । वक्त निरीक्षण उक्त दुकान में घी (अमृत) 21 कार्टन एक किलोग्राम के आम जनता के लिए विक्रय हेतू रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ घी (अमृत) मे से 04 कार्टुन पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 1320/- रूपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ घी (अमृत) के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा घी (अमृत) की 04 पॉली पैक को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग-2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई -1090 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक मुचिअ./एफएसएसए/2020/3924 दिनांक 06.11.2020 के द्वारा



*(Handwritten signature)*

खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/ 238/एक्ट/2020/247 दिनांक 01.11.2020 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ घी (अमृत) मिसब्राण्ड होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने दिनांक 14.09.2021 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। विपक्षी को सुना गया। विपक्षी द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए निवेदन किया है कि लेबलिंग में जो भी गलती हुई है उसमें सुधार कर लिया जायेगा एवं ऐसी गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का घी (अमृत) मिसब्राण्ड, होना पाया गया। अतः अभियुक्तों ने मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की धारा 3(1)(ZF)(A)(i)(C)(i) के अन्तर्गत) खाद्य पदार्थ घी (अमृत) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (II) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 52 में जुर्माना योग्य अपराध है।

अपराध कारित होने से विपक्षी श्री रवि कंसारा पुत्र श्री कृष्ण गोपाल कंसारा उम्र 30 जाति कंसारा निवासी वार्ड नं.13, सुरज दरवाजा, देवगढ़ जिला राजसमंद (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स रुद्राक्ष ट्रेडिंग कम्पनी, तीन बत्ती चौराहा, देवगढ़ जिला राजसमंद, संगीता पंडिया पत्नी श्री सुनील पंडिया निवासी होलीथान, मारू दरवाजा, सदर बाजार देवगढ़ (फर्म मालिक) मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, होलीथान, मारू दरवाजा, सदर बाजार देवगढ़, प्रियंका गुप्ता पत्नी श्री अशोक कुमार गुप्ता (फर्म मालिक) निवासी 5, जग्न गार्डन, वार्ड नं. 73 बदनपुरा, ब्रह्मपुरी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर मैसर्स सारथी सेल्स एजेन्सी, 467 बेसमेन्ट, सूर्या सिटी, आगरा रोड जयपुर, पटेल प्रकाश कुमार केशवलाल पुत्र श्री पटेल केशवलाल निवासी 182, सन नगर सोसायटी, बिंदु सरोवर के पास, सिद्धपुर पाटन, सिद्धपुर, गुजराज- 384151 मैसर्स रजवाडी डेयरी प्रोडक्ट, एफ-1, पार्क एग्रो, कमली तहसील उंझा जिला महसाणा



*(Handwritten signature)*

गुजरात को कुल राशि 50000 /- रूपये (अक्षरे रूपया पचास हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थो मे किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(कुशल कुमार कोठारी)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
राजसमन्द